lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2015

ekpl&2015

LokLF; foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(स्वा.)13/2013	सेवान्त लाभ अप्राप्त रहने के संबंध में श्रीमती सोभा तिर्की सेवा निवृत ANM डालटनगंज का परिवाद ।	16.03.2015	सिविल सर्जन पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के सभी प्रकार वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ty llk/ku foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(जल.सं.)04/14	पेंशान उपादान एवं अन्य सेवानिवृत लाभों के भुगतान के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रसाद(से.नि. कार्य. अभि.) मोहन पुर, पुनईचक , पटना का शिकायत ।	18.03.2015	जल संसाधन विभाग झाराखझड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के देय पावनाओं तथा पेंशन का ाुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xg foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(गृह)05/2012	तृतीय संशोधित वृति योजना का लाभ नहीं देने के संबंध में श्री बलिराम कुजूर, सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक का परिवाद ।	18.03.2015	पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) झारखण्ड से प्राप्त जाचं प्रतिवेदन के अनुसार परिवारदी MACP के हकदार नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

df"k foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(कृषि)43/10	श्री हरिनारायण प्रसाद सेवा निवृत कृषि निदेशक गढ़वा के द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में ।	16.03.2015	कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)12/12	श्री गोपाल मांझी, दैनिक कृषक मजदूर सह चौकीदार के बकाये का भुगतान एवं सेवा नियमित करने के संबंध में ।	18.03.2015	कृषि निदेशक झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(वन)06/13	सेवा निवृति उपरान्त देय पावनाओं के भुगतान हेतु परिवादी के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में श्री घासी राम पिंगुवा, राँची का परिवाद ।	18.03.2015	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।

okf.kT; dj foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(वा.कर.)02/13	बोकारो जिला अन्तर्गत बेरमो अनुमंडल में वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों के मिलीभगत से सरकारी राजस्व की हानि के संबंध में श्री ओम प्रकाश बोकारो का परिवाद ।	11.03.2015	सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xzkfe.k fodkl foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)27/13	दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप ली जा रही सेवा से हटाये जाने के संबंध में श्रीमती पूर्णिमा देवी, गिरिडीह का परिवाद ।	18.03.2015	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी अपने परिवाद के निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट दायर की थी जिसका निपटारा कर दिया गया है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा उक्त के आलोक में बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.	काल बद्ध प्रोन्नति व अन्य लाभ के संबंध में श्री	18.03.2015	अधीक्षण अभियंता ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

	)01/13	उमेश प्रसाद सिंह, पाकुड़ का परिवाद ।		दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को विभाग द्वारा प्रन्नोति दिये जाने के उपरान्त भी अपने पद पर योगदान नहीं दिये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इस पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

f’kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns’k
1.	शिकायत सं. 144/14	झरिया थाना में फर्जी आश्रित बनकर चौकिदार की नौकरी करने के संबंध में श्री छोटेलाल पासवान, झरिया, धनबाद का शिकायत ।	16.03.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं.485/2013	M/S ZOOM DEVELOPERS को भुगतान करने में वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार टाटीसिलवे, राँची का शिकायत ।	18.03.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं.49/2015	श्री शिव नरायण जयसवाल द्वारा लालपुर लालपुर डिस्टलरी गौशाला के समीप बिरसा समाधि स्थल के पीछे स्थायी वास कर रहे आदिवासियों को जमीन खाली करने की धमकी दिये जाने के संबंध में श्रीमती करोलिना टुटी राँची का परिवाद ।	11.03.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि यह वाद किसी लोक सेवक के विरूद्ध न होकर निजी व्यक्ति के विरूद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 53/2015	संस्कृत उच्च विद्यालय, डोरण्डा, गिरीडिह में शिक्षक ण्वं लिपिक का अवैद्य नियुक्ति पर रोक के संबंध में श्री विकास चन्द्र पाण्डेय, गिरीडिह का शिकायत ।	11.03.2015	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.04/2015	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशेपरान्त भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलने के संबंध में श्री भागवत पासवान, गोड्डा का शिकायत ।	16.03.2015	परिवादी पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट स. 7962/2012 दायर किया था जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चूका

				है । अतः वाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं.51/2015	मई 2014 से पारिवारिक पेंशन बंद कर दिये जाने से भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाने के संबंध में मो0 श्यामली मंडल, एग्रिको पूर्वी जमशेदपुर का शिकायत ।	11.03.2015	परिवादीनी द्वारा पूर्व माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट सं. 5061/2014 दायर किया गया जा अभी लंबित है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।